

०४.०१.२०२६ वाकिल वादीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वाकिल मय वादी को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वाकिल व वादी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

लिटिग्य वादी का वाद अदम पैरवी व अदम ट्राजिरी में खारिज किया जाता है।

पहिली कैसल सुमार टोकर शाखिल इफतर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,